न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री बंशीलाल शर्मा पिता मांगीलाल शर्मा मु0पो0 नारायण खेडा, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :–156/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04–11–2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी अपने आवेदन–पत्र दिनांक 04.11.2025 को प्रथम अपील इस कार्यालय में प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से वांछित सूचना दिलाया जाने का निवेदन किया है। 3. अपीलार्थी के आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा के विरूद्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो कि प्रथम अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो वांछित सूचना के सम्बंध में नवीन आवेदन सम्बंधित प्रथम अपीलेंट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतू स्वतन्त्र है। 4. अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर उपरोक्त विवेचन के अनुसार खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 04–11–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिहं संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)